न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 32 / 2014 (राजसमन्द डिक्री)

1. बद्रीलाल पिता पन्नालाल माली, निवासी मालीवाडा राजनगर, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
2. किशनलाल पिता पन्नालाल माली, निवासी मालीवाडा राजनगर, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
3. मिठ्ठूदेवी पुत्री पन्नालाल जी पत्नी रामेश्वरलाल जी माली, निवासी माणक चौक राजनगर, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
4. संतोषी पुत्री पन्नालाल जी पत्नी पोखर जी माली, निवासी मालीखेड़ा वाया जेतपुरा, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
5. देउ पुत्री पन्नालाल जी पत्नी धर्मचन्द जी माली, निवासी 100 फिट रोड़ राजनगर, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
6. राधी पुत्री पन्नालाल जी पत्नी बाबूलाल जी माली, निवासी नायकवाडी राजनगर, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
7. हगामीबाई बेवा पन्नालाल जी माली, निवासी मालीवाडा राजनगर, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. मिठ्ठालाल पिता गुलाब जी माली, निवासी राजनगर, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
2. रामलाल पिता अम्बालाल जी जाट, निवासी राजपुरा, तहसील रेलमगरा, हाल निवासी पंचरत्न कॉम्पलेक्स कांकरोली, तहसील व जिला राजसमन्द
3. राज्य सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार, राजसमन्द (राज.)

..... रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त. अधि. 1955 विरूद्ध निर्णय व
डिक्री उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द
दिनांक 18.09.2014 प्र.सं. 18 / 2014

———::———

उपस्थित (वक्तबहस) 1– श्री अक्षय पालीवाल अभिभाषक अपीलान्टगण

2– श्री दिग्विजयसिंह चुण्डावत अभि. रेस्पो. सं. 1

3– राजकीय अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3

———::———

निर्णय **दिनांक 11–12–2017**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 एवं 3 के विरूद्ध एक वाद विभाजन का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम राजनगर में आराजी नंबर 416 रकबा 16 बिस्वा भूमि स्थित है। यह भूमि वादी ने श्रीमती बदामीबाई पत्नी भंवरलाल गुजर से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय की थी, जिसमें से 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से विक्रय कर दिय। इस प्रकार उक्त भूमि में वादी का 3/4 हिस्सा एवं प्रतिवादी का 1/4 हिस्सा है, जो संयुक्त है। भूमि का मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन नहीं हुआ है, जिससे असुविधा होती है। अतएवं भूमि का बंटवाड़ा कराया जावे।

प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रकरण में सहमति का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में स्वीकारोक्ति के आधार पर दिनांक 18–09–2014 को प्रारम्भिक डिक्री जारी की गयी तथा विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद दिनांक 01–12–2014 को अंतिम डिक्री पारित की गयी।

उक्त प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 18–09–2014 से रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 28–10–2014 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील के साथ दफा 96 जाब्ता दीवानी का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मीठालाल वादी एवं रामलाल प्रतिवादी द्वारा आपसी सहमति से विभाजन का वाद प्रस्तुत कर प्रारम्भिक डिक्री प्राप्त कर दी गयी, जो दुरभि संधि से प्राप्त की गयी है। प्रार्थी ने ग्राम राजनगर की आराजी नंबर 416, 432, 438 व 436 के संबंध में खातेदारी घोषणा का वाद दिनांक 27–08–2013 को न्यायालय में प्रस्तुत कर रखा है, जो विधाराधीन होकर प्ररकण संख्या 241/2013 एवं अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र के प्रकरण संख्या 334/2013 हैं। प्रार्थीगण को जैसे ही इस वाद की जानकारी हुई उन्होंने पक्षकार बनाये जाने हेतु आदेश 1 नियम 10 जा.दी. का आवेदन

दिनांक 18–03–2014 से पूर्व प्रस्तुत कर दिया, किन्तु कार्यालय द्वारा उसे पत्रावली पर नहीं लगाया गया, जिसका फायदा उठाते हुए मिली भगत से प्रारम्भिक डिक्री प्राप्त कर दी गयी। अपीलान्ट उक्त निर्णय व डिक्री से प्रभावित, दुखी एवं पीड़ित हैं। अतएवं उन्हें अपील प्रस्तुत करने की अनुज्ञा प्रदान की जावे।

उक्त आवेदन का जवाब रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रेस्पोन्डेन्ट द्वारा अपनी खातेदारी भूमि का विभाजन करवाया गया है। प्रार्थी/अपीलान्ट द्वारा जो अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन प्रस्तुत किया गया है उसमें अस्थाई निषेधाज्ञा अभी जारी नहीं कर रखी है। अपीलान्ट द्वारा आदेश 1 नियम 10 जा.दी. का कोई आवेदन पेश नहीं किया गया है। अपीलान्ट उक्त भूमि में जो अपना हक अधिकार बता रहे हैं उसके लिए अलग से वाद प्रस्तुत कर दिया है, उनके जो भी हक अधिकार हैं वह वाद में ही तय होंगे। अपीलान्ट को इस प्रकरण में पारित डिक्री के संबंध में आपत्ति करने का कोई अधिकार नहीं है।

प्रकरण में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से वकील श्री दिग्विजयसिंह चुण्डावत उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 पहले स्वयं उपस्थित हुए, किन्तु दौराने बहस अनुपस्थित रहे। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 सरकार की ओर से औपचारिक पक्षकार राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए।

→ हमारे द्वारा दफा 96 जा.दी. के आवेदन पर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी व पत्रावली का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में घोषणा का वाद प्रस्तुत कर रखाा है, इसमें कोई संशय नहीं है। यह भी स्पष्ट होता है कि अपीलाधीन आदेश रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 की रेकार्डेड खातेदारी भूमि के दोनों सहखातेदार होने से उनकी सहमति से विभाजन का वाद डिक्री किया गया है। अपीलान्ट द्वारा जो घोषणात्मक वाद उक्त भूमि के संबंध में पेश किया गया है वह वाद इस इस विभाजन के वाद से किसी प्रकार से सुसंगत नहीं है। अपीलान्ट द्वारा अपने घोषणात्मक वाद में जो राहत चाही गयी है, वह राहत उसे अपने वाद में प्राप्त हो सकती है। इस अपील में विभाजन सहखातेदारों के मध्य होने से उसके कोई हक प्रभावित होते हों, ऐसा प्रतीत नहीं होता है। उनके द्वारा आदेश 1 नियम 10 का प्रार्थना पत्र अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने

की कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। अतएवं उसके पेश किये जाने की विश्वसनियता को इस स्तर पर नहीं माना जा सकता। यदि अपीलान्ट अपने घोषणात्मक वाद में सफल होता है तो वह विभाजित आराजियात में भी अपनी घोषणात्मक राहत प्राप्त कर सकता है। अतएवं हम इस प्रकरण में अपीलान्ट को आवश्यक, हितबद्ध एवं व्यथित पक्षकार नहीं पाये जाने से दफा 96 जा.दी. का आवेदन स्वीकार योग्य नहीं पाते है।

अतएवं अपीलान्ट आवश्यक, हितबद्ध एवं व्यथित पक्षकार नहीं होने से उनका दफा 96 जा.दी. का आवेदन खारिज किया जाता है। तद्नुसार अपील खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 18–09–2014 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 11–12–2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास ..... **एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.** .....

बद्रीलाल पिता पन्नालाल जी माली, निवासी मालीवाडा राजनगर, तह0 व जिला राजसमन्द व अन्य	बनाम	**मिठ्ठालाल पिता गुलाब जी माली, निवासी राजनगर, तह0 व जिला राजसमन्द व अन्य**

अपील नं.....**32 / 2014**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**राजसमन्द**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**.....18**.....माह.....**09**.....**2014**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**11**.....माह.....**12**.....सन् **2017** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी....**श्री अक्षय पालीवाल**....मिनजानिब अपीलान्ट व....**श्री दिग्विजयसिंह चुण्डावत**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपीलान्ट आवश्यक, हितबद्ध एवं व्यथित पक्षकार नहीं होने से उनका दफा 96 जा.दी. का आवेदन खारिज किया जाता है। तद्नुसार अपील खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 18–09–2014 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**.....
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**11**.....माह.....**12**.....**2017** को जारी किया गया ।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।